(16)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 15/11–12, 78/18–19, 85/18–19 का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– अम्बुज कुमार सिंह

प्रतिपक्षीः– असर्फी महतो वगैरह

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	अपीलकर्ताः– 1– अम्बुज कुमार सिंह पिता–डॉ0अम्बिका प्रसाद सिंह द्वारा पावर ऑफ एटॉर्नी श्रीमती नीलम सिंह, साकिन–गोशाला रोड वार्ड नं. 1 जयनगर शहर। प्रतिपक्षीगणः–1– असर्फी महतो पिता स्व0 रामविलुन महतो साकिन–दुल्लीपट्टी, टोले–बलुआ थाना–जयनगर,..... .....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 2– प्रमोद नारायण वर्मा उर्फ नित्यानंद लाल दास 3– चन्द्र प्रकाश लाल कर्ण पेसरान स्व0 तुलाकृष्णलालदास 4– मुसमात तारा देवी पति स्व0तुलाकृष्णलाल दास सभी साकिनान–राघोपुर बलाट, थाना–राजनगर .....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।**	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
19.12.18	प्रस्तुत अपील वाद समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय से पत्रांक–3053/जि0वि0 दिनांक–06.09.2018 से सुनवाई कर निष्पादन हेतु हस्तान्तरित हुआ। इस न्यायालय में वाद संचालन के क्रम में अपीलकर्ता की ओर से मात्र वकालतन समयावेदन दिया गया। प्रतिपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये और न ही वकालतन/सहालतन पक्ष रखे। अपीलकर्ता की ओर से मात्र बताया गया कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष–असर्फी महतो ने उनके पक्ष में भूमि निबंधित केवाला से हस्तान्तरित कर दिया है। स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को उक्त वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। समाहर्ता महोदय के माननीय न्यायालय में मात्र प्रत्युत्तर दाख्लि करने के बाद वे लगातार अनुपस्थित वाद को आदेशार्थ रखा गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– विवादित भू–खण्ड खाता संख्या–1 पूराना खेसरा संख्या–1790 एवं नया खेसरा संख्या–7683 रकवा 0–10–0 (दस कट्ठा) मौजा–नरार थाना–खजौली वर्तमान–कलुआही जिला मधुबनी में अवस्थित है जो प्रमोद नारायण वर्मा उर्फ नित्या नंद लाल दास, चन्द्र प्रकाश लाल कर्ण एवं मुसमात तारा देवी प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के स्वत्व एवं दखल में थी जिन्होने पैसे की आवश्यकता होने पर जमीन बिक्री करने की इच्छा जाहिर की। अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि क्रय करने हेतु इच्छूक थे किन्तु प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को निबंधित केवाला से भूमि बिक्री कर दिया। जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं और न ही प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के सह भागीदार। 2– प्रश्नगत भूमि का किस्म– **दो फसला असिंचित कृषि** भूमि है। 3– अपीलकर्ता का प्रश्नगत भूमि के सटे उत्तर, पूरब एवं पश्चिम में अपनी भूमि है। भूमि का विवरण अनुसूची–2 में अंकित है। 4– मात्र भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) को विफल करने के	

4– मात्र भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) को विफल करने के उद्येश्य से एवं गैर कानूनी ढ़ंग से निबंधित केवाला के उत्तरी, पूर्वी एवं पश्चिमी चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नहीं किया गया। उत्तर चौहद्दी में नीज दर्ज किया जबकि प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष की कोई भी भूमि उत्तर चौहद्दी में उपलब्ध नहीं है उन्होंने विभिन्न केवालों के माध्यम से कई व्यक्तियों के साथ भूमि बिक्री कर चुके हैं। प्रश्नगत भूमि के उत्तरी चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज होना चाहिए।

5– अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के अग्रक्रय के अधिकारी होने के नाते निम्न न्यायालय में अग्रक्रय का दावा आवेदन दायर किया। केवाला में अंकित जरसेमन अतिरिक्त दस प्रतिशत चालान के माध्यम से निम्न न्यायालय में जमा किया गया एवं एल0सी0 प्रपत्र–13 में प्रतिपक्षियों को सूचना निबंधित डाक से भेजी गई। प्रतिपक्षीगणों ने निम्न न्यायालय में प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें गलत आधार दिया।

6– निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक भी आधार को नहीं माना और न ही प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किया।

7– निम्न न्यायालय ने एल0सी0वाद अभिलेख संख्या–3/2009–10 में बिना किसी आधार के आवेदक के अग्रक्रय दावा को खारिज करते हुये दिनांक–18.12.2010 को आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर का मुख्य अंशः–</u>

1– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष भूमिहीन की श्रेणी में हैं प्रतिपक्षी के पास मात्र सात कट्ठा बारह धूर जमीन है जो एक एकड़ से भी कम जमीन है, जो भूमिहीन की श्रेणी में आता है। जिसका साक्ष्य निम्न न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

2– निम्न न्यायालय ने सभी सबूतों के आधार पर आदेश पारित किया जो विधि–सम्मत वं वैध्य है। निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा वाद अभिलेख संख्या–03/09–10 नीलम सिंह–बनाम–असर्फी महतो में दिनांक– 18.12.2010 को पारित आदेश का मुख्य अंशः–

भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अपने आदेशफलक में लिखा है कि उनके द्वारा दोनों पक्षों के समक्ष स्थलीय जॉच किया। स्थलीय जॉच में आवेदक को अरिया रैयत नहीं पाया। विपक्षी प्रथम पक्ष एक एकड़ से कम भूमि धारित करते हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आता है। आवेदक द्वारा कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत एवं सह भागीदार हैं। आवेदक को प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय का अधिकारी नहीं मानते हुये उनके अग्रक्रय वाद आवेदन को खारिज कर दिया गया।

निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न प्रश्नगत भूमि केवाला में दर्ज भूमि का विवरणः–

खाता–1 खेसरा–1790 पुराना 7683 नया चौहद्दीः– उत्तर–नीज द0–मो0 सुमित्रा देवी, पुरब–सच्ची देवी, खेसरा नं. 1787 पश्चिम–मंजुला देवी इमरोजा खरीदार।

अपीलकर्ता की ओर से बताया गया कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष श्री अशर्फी महतो पिता स्व0 राम विक्षुन महतो, साकिन–'मौजे–दुल्लीपट्टी टोले बलआ टोल थाना–जयनगर ने निबंधित केवाला संख्या–2340 दिनांक–20.04.2015 द्वारा श्रीमती नीलम सिंह पति डॉ0 अम्बिका प्रसाद सिंह साकिन गोशाला रोड, जयनगर के पक्ष में प्रश्नगत भूमि बिक्री कर हस्तान्तरित एवं दखल दे दिया। साक्ष्य के रूप में केवाला की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई।

निष्कर्ष:–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन, प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर का अवलोकन एवं परिसिलन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न प्रश्नगत भूमि केवाला में दर्ज चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता ने दोनों पक्षों के समक्ष स्थलीय जॉच किया तथा आवेदक को प्रश्नगत भूमि का अरिया रैयत नहीं पाया।

ऐसी स्थिति में मैं पाता हूँ कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

चूँकि अपीलकर्ता की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत निबंधित केवाला संख्या–2340 दिनांक–20.4.2015 की छाया प्रति के अनुसार प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष अशर्फी महतो ने प्रश्नगत भूमि नीलम सिंह को बिक्री कर दखल दे दिया। प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल करने के बाद लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। वकालतन/सहालतन न तो पैरवी की गई और न ही पक्ष रखा गया ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष को उक्त वाद में अब कोई अभिरूचि नहीं रह गई है। अतः उक्त वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी को वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

19.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

19.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।